

NCERT SOLUTIONS

CLASS - 8TH



aglasem.com

Class : 8th
Subject : अर्थशास्त्र
Chapter : 8

Chapter Name : हाशियाकरण से निपटना

Q1 दो ऐसे मौलिक अधिकार बताए जिन्हें दलित समुदाय प्रतिष्ठापूर्ण और समतापरक व्यवहार पर जोर देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सवाल का जवाब देने के लिए पुष्ट 14 पर मौलिक अधिकारों को दोबारा पढ़िए।

Answer.

- स्वतंत्रता का अधिकार:
- इस अधिकार में संघ बनाने की स्वतंत्रता, बिना हथियार के इखट्टा होने की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, अपने देश में कहीं भी निवास करने की तथा बसने की स्वतंत्रता, किसी भी व्यवसाय या आजीविका को चलाने की स्वतंत्रता इत्यादि शामिल हैं।
- समानता का अधिकार:
- इस अधिकार के अनुसार जन्म स्थल, जात, धर्म, नस्ल या लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और सभी एक सामान हैं कानून के आगे।
- रोज़गार में भी किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा।
- इस अधिकार के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर जैसे की खेल का मैदान, दुकान आदि पर सभी का एक सामान का अधिकार होगा।
- सभी को देश के कानून से बराबर सुरक्षा भी मिलेगी।
- ऊपर दिए गए अधिकार ऐसे मौलिक अधिकार हैं जिन्हें दलित समुदाय के लोग प्रतिष्ठापूर्ण और समतापरक व्यवहार पर जोर देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।

Page : 103, Block Name : अभ्यास

Q2 रत्नम की कहानी और 1989 के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों को दोबारा पढ़िए। अब एक कारण बताइये की रत्नम ने इसी कानून के तहत शिकायत क्यों दर्ज करवाई?

Answer.

- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) 1989 के प्रावधानों के तहत यदि किसी भी दलित एवं अधिवासी समुदाय के व्यक्ति पर किसी ऊँचे जाती के व्यक्ति द्वारा दुर्व्यवहार करना गैरकानूनी और दंडनीय अपराध है।
- इस नियम को दलित और आदिवासी समुदाय के लोगो की किसी भी प्रकार के शोषण और भेदभाव से सुरक्षा करने के लिए लागू किया गया है।
- रत्नम की कहानी में उससे ऊँची जाती के लोगों ने एक अनैतिक रसम करने के लिए कहा था क्योंकि वो दलित समुदाय से था।
- रत्नम ने जब इस रसम को करने से इंकार कर दिया तो ऊँचे वर्ग के लोगो ने उससे नाराज़ होकर उसे अपने समुदाय से बहिष्कृत कर दिया।

- उन्होंने उसकी झोपड़ी में भी आग लगा दी इन सब हरकतों से परेशान होकर रत्नम ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) 1989 के अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज करवाई।

Page : 103, Block Name : अभ्यास

Q3 सी.के.जानू और अन्य आदिवासी कार्यकर्ताओं को ऐसा क्यों लगता है कि अपने परंपरागत संस्थानों के चीन जाने के खिलाफ 1989 के इस कानून का इस्तेमाल कर सकते हैं? इस कानून के प्रावधानों में ऐसा क्या खास है जो उनकी मान्यता को पुष्ट करता है?

Answer.

- इस कानून के तहत यदि कोई भी व्यक्ति किसी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के नाम की या उसके स्वामित्व वाली ज़मीन पर कब्ज़ा करता है, या खेती करता है, या उसे अपने नाम पर स्थानांतरित करवा लेता है तो यह एक अपराध है और उसे सजा होगी।
- आदिवासी कार्यकर्ता सी.के.जानू भी यही चाहते हैं कि जो भी आदिवासी अपनी ज़मीन से बेदखल हो गए हैं, जो वापस आ नहीं सकते और जो वापस आ सकते उन दोनों को मुआवज़ा मिलना चाहिए।
- इससे उनका एक ही मतलब था कि सभी बेदखल किये आदिवासियों के लिए सरकार एक ऐसी योजना बनाए जिससे उन्हें उस स्थान पर रहने में तकलीफ़ न हो और उन्हें काम भी मिले।
- इसी प्रकार से बाकी आदिवासी कार्यकर्ता भी 1989 के अधिनियम का इस्तेमाल करके अपनी कब्ज़ा की हुई परंपरागत ज़मीन को वापस पाने के लिए और इंसाफ़ के लिए कर सकते हैं।
- संविधान में भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा के लिए नियम हैं और उस नियम के तहत कोई भी गैर आदिवासी किसी भी आदिवासी की ज़मीन को खरीदना या कब्ज़ा करना गैरकानूनी माना गया है, यदि ऐसा कही हुआ है तो यह संविधान का भी उल्लंघन हुआ है और इन सारे गैर कानूनी कामों के लिए उस व्यक्ति को कड़ी सजा होगी।

Page : 103, Block Name : अभ्यास